

लोक अदालत

प्रलिस के लयः

लोक अदालत, नालसा, वैकल्पिक ववाद समाधान ।

मेन्स के लयः

लोक अदालत और संबधति क्षेत्राधिकार तथा इसके महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

लोक अदालत वैकल्पिक ववाद समाधान के सबसे प्रभावशाली उपकरण के रूप में उभरी है ।

- वर्ष 2021 में कुल 1,27,87,329 मामलों का नपिटारा कया गया । ई-लोक अदालतों जैसी तकनीकी प्रगत के कारण लोक अदालतें पार्टियों के दरवाजे तक पहुँच गई हैं ।

प्रमुख बडुः

परचयः

- 'लोक अदालत' शब्द का अर्थ 'पीपुल्स कोर्ट' है और यह गांधीवादी सदिधांतों पर आधारति है ।
- सर्वोच्च न्यायालय** के अनुसार, यह प्राचीन भारत में प्रचलति न्यायनरिणयन प्रणाली का एक पुराना रूप है और वर्तमान में भी इसकी वैधता बरकरार है ।
- यह **वैकल्पिक ववाद समाधान (ADR) प्रणाली** के घटकों में से एक है जो आम लोगों को अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है ।
- पहला लोक अदालत शविरि वर्ष 1982 में गुजरात में एक सर्वेच्छक और सुलह एजेंसी के रूप में बनिा कसिी वैधानिक समर्थन के नरिणयों हेतु आयोजति कया गया था ।
- समय के साथ इसकी बढ़ती लोकप्रयिता को देखते हुए इसे **कानूनी सेवा प्राधिकरण अधनियम, 1987** के तहत वैधानिक दर्जा दया गया था । यह अधनियम लोक अदालतों के संगठन और कामकाज से संबधति प्रावधान करता है ।

संगठनः

- राज्य/ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/तालुका कानूनी सेवा समति ऐसे अंतराल और स्थानों पर तथा ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने व ऐसे क्षेत्रों के लयि लोक अदालतों का आयोजन कर सकती हैं जनिहें वह उचित समझे ।
- कसिी क्षेत्र के लयि आयोजति प्रत्येक लोक अदालत में उतनी संख्या में सेवारत या सेवानवृत्त न्यायिक अधिकारी और क्षेत्र के अन्य व्यक्त शामिल होंगे, जैसा क आायोजन करने वाली एजेंसी द्वारा नरिदष्टि कया जाएगा है ।
 - सामान्यतः एक लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी, एक वकील (अधविकता) और एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में शामिल होते हैं ।
- राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण** (National Legal Services Authority- NALSA) अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का आयोजन करता है ।
 - NALSA का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधनियम, 1987 के तहत 9 नवंबर, 1995 को कया गया था जो समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करने हेतु राष्ट्रव्यापी एक समान नेटवर्क स्थापति करने के लयि लागू हुआ था ।
- सार्वजनिक उपयोगति सेवाओं से संबधति मामलों से नपिटने के लयि स्थायी लोक अदालतों की स्थापना हेतु वर्ष 2002 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधनियम, 1987 में संशोधन कया गया था ।

क्षेत्राधिकारः

- लोक अदालत के पास ववाद के समाधान के लयि पक्षों के बीच समझौता या समझौता करने और तय करने का अधिकार क्षेत्र होगा:
 - कसिी भी न्यायालय के समक्ष लंबति कोई मामला, या
 - कोई भी मामला जो कसिी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसे न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जाता है ।
- अदालत के समक्ष लंबति कसिी भी मामले को नपिटान के लयि लोक अदालत में भेजा जा सकता है यदः

- दोनों पक्ष लोक अदालत में विवाद को नपिटाने के लिए सहमत हो या कोई एक पक्ष मामले को लोक अदालत में संदर्भित करने के लिये आवेदन करता है या अदालत संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत द्वारा हल किया जा सकता है।
- पूर्व-मुकदमेबाज़ी के मामले में विवाद के किसी भी एक पक्ष से आवेदन प्राप्त होने पर मामले को लोक अदालत में भेजा जा सकता है।
- वैवाहिक/पारिवारिक विवाद, आपराधिक (शमनीय अपराध) मामले, भूमि अधग्रहण के मामले, श्रम विवाद, कामगार मुआवज़े के मामले, बैंक वसूली से संबंधित आदि मामले लोक अदालतों में उठाए जा रहे हैं।
- हालाँकि लोक अदालत के पास किसी ऐसे मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो किसी भी कानून के तहत कंपाउंडेबल अपराध से संबंधित नहीं है। दूसरे शब्दों में, जो अपराध किसी भी कानून के तहत गैर-कंपाउंडेबल हैं, वे लोक अदालत के दायरे से बाहर हैं।
- **शक्तियाँ:**
 - लोक अदालत के पास वही शक्तियाँ होंगी जो सविलि प्रक्रिया संहिता (1908) के तहत एक सविलि कोर्ट में नहिति होती हैं।
 - इसके अलावा एक लोक अदालत के पास अपने सामने आने वाले किसी भी विवाद के निर्धारण के लिये अपनी प्रक्रिया निर्दिष्ट करने की अपेक्षति शक्तियाँ होंगी।
 - लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860) के तहत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी और प्रत्येक लोक अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता (1973) के उद्देश्य के लिये एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा।
 - लोक अदालत का फैसला किसी दीवानी अदालत की डिक्री या किसी अन्य अदालत का आदेश माना जाएगा।
 - लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक नरिणय विवाद के सभी पक्षों के लिये अंतिम और बाध्यकारी होगा। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होगी।
- **महत्त्व:**
 - इसके तहत कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का नपिटारा होने पर राशवापस कर दी जाएगी।
 - विवाद नपिटन हेतु प्रक्रियात्मक लचीलापन और त्वरति सुनवाई होती है। लोक अदालत द्वारा दावे का मूल्यांकन करते समय प्रक्रियात्मक कानूनों को अत्यधिक सख्ती से लागू नहीं किया जाता है।
 - विवाद के पक्षकार सीधे अपने वकील के माध्यम से न्यायाधीश के साथ बातचीत कर सकते हैं जो कानून की नियमति अदालतों में संभव नहीं है।
 - लोक अदालत द्वारा दिया जाने वाला नरिणय सभी पक्षों के लिये बाध्यकारी होता है और इसे सविलि कोर्ट की डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है तथा यह गैर-अपील योग्य होता है, जिससे अंततः विवादों के नपिटारे में देरी नहीं होती है।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/lok-adalat-1>

